राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

पंत कृषि भवन, जनपथ जयपुर

निविदा सूचना

रजिस्टर्ड सेवाप्रदाता सोसायटी/कम्पनी/एजेन्सी के माध्यम से पांच वाहन चालक वर्ष 2019–20 में बोर्ड को उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा के नियम एवं शर्तो का विवरण निर्धारित शुल्क 100/– रूपये (अक्षरे सौ रूपये मात्र) बोर्ड कार्यालय में दिनांक 08.07.2019 को अपरान्ह 12:00 बजे तक जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते है। पूर्ण रूप से भरी निविदा उसी दिन को अपरान्ह 2:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है, जो सांयकाल 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शर्ते एवं अन्य विवरण http://agriculture.rajasthan.gov.in/rsamb एवं http://sppp. rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

महाप्रबन्धक (प्रशासन)

महाप्रबन्धक (प्रशासन)
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
जयपुर

निविदा शुल्क 100/- रूपये
रसीद संख्या.................दिनांक ....

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

सेवाप्रदाता द्वारा वाहन चालक उपलब्ध कराने की शर्ते एवं निविदा प्रपत्र

1. बोलीदाता/ संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा।

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं0	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर ब				
5	आय कर (पैन नंबर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11,वर्ष 1948)के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगें। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुऐ बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

4. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जावेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातो में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।